

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2020

जयपुर, दिनांक : 07.07.2020

आदेश

अलवर एवं पाली जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्न राज्य स्तरीय अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र. स.	अधिकारी का नाम व पद	मोबाईल नम्बर	आंवटित जिला
1	डा. मनमोहन मित्तल, राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर	94625-73735	अलवर
2	डा. सुशील परमार, संयुक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय, जयपुर	94141-54899	पाली

उक्त अधिकारी तीन दिवस संबंधित जिले में प्रवास कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे एवं प्रतिदिन की गतिविधियों से राज्य सरकार को अवगत करावेंगे। साथ ही राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर ही जयपुर प्रस्थान करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
4. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
6. मिशन निदेशक, एन. एच. एम. को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
7. जिला कलक्टर, अलवर/पाली
8. निदेशक (जन स्वास्थ्य/एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/जोधपुर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/पाली
11. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली।



शासन-उप सचिव